संख्या:36/2021/I/127018/46-1002(002)/5/2021

प्रेषक,

शिव सहाय अवस्थी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

गन्ना एवं चीनी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

चीनी उद्योग अनुभाग-1 **दिनांक 29 दिसम्बर, 2021**

विषय- उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद, शाहजहॉपुर को वित्तीय वर्ष 2021-22 में वेतन मद हेतु प्राविधानित/स्वीकृत धनराशि को पुर्नआवंटित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या:114/लेखा-बजट(चीनी),दिनांक 08.12.2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ.प्र. गन्ना शोध परिषद शाहजहॉपुर को अनुदान संख्या-24 के अन्तर्गत 31-सहायता अनुदान सामान्य (वेतन) मद में चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्राविधानित धनराशि रू.2952.00 लाख के सापेक्ष विभिन्न मदों हेतु शासनादेश संख्या:24/21/I/67168/2021/46-1002(002)/5/2021, दिनांक 27-05-2021 द्वारा कुल स्वीकृत धनराशि रू.2951.63 लाख को संशोधित करते हुए संलग्न फॉट के कालम-5 के अनुसार पुर्नआवंटन करते हुए कालम-6 के अनुसार पुनरीक्षित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

3. शासनादेश संख्या:24/21/I/67168/2021/46-1002(002)/5/2021, दिनांक 27.05.2021 की शेष शर्ते यथावत रहेंगी।

सलंग्नकः-यथोपरि।

भवदीय,
शिव सहाय अवस्थी
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है

संख्या:36/2021/I/127018/ एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/ द्वितीय उ.प्र., प्रयागराज।
2. महालेखाकार, (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ.प्र., लखनऊ।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी, जिला कोषागार, शाहजहॉपुर।
4. वित्त नियंत्रक, कार्यालय गन्ना आयुक्त, उ.प्र.।
5. निदेशक, उ.प्र. गन्ना शोध परिषद, शाहजहॉपुर।
6. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ.प्र., प्रयागराज।
7. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6/वित्त (बजट) अनुभाग-1
8. गार्ड फाइल ।

सलंग्नकः-यथोपरि।

आज्ञा से,

शिव सहाय अवस्थी

विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है

शासनादेश संख्या:36/2021/I/127018/46-1002(002)/5/2021 का संलग्नक

(धनराशि रूपये में)

क्र.स.	विवरण	स्वीकृत धनराशि	बचत	पुनरावंटित धनराशि	पुनरीक्षित स्वीकृत धनराशि
1	2	3	4	5	6
31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन)					
1	वेतन	165694000/-	26094724/-	-	150694000/-
2	महंगाई भत्ता	46319000/-	13746813/-	-	39419000/-
3	अन्य भत्ते	2500000/-	1463752/-	-	2500000/-
4	चिकित्सा प्रतिपूर्ति	3000000/-	2929059/-	-	2718000/-
5	यात्रा भत्ता	2500000/-	2417315/-	-	2500000/-
6	पेंशनरी अवकाश अंशदान	600000/-	600000/-	-	600000/-
7	पेंशन अंशदान	3000000/-	-281070/-	**282000/-**	3282000/-
8	मानदेय	250000/-	180000/-	**-**	250000/-
9	अखिल भारतीय शोध समन्वित परियोजना (गन्ना)	1900000/-	1004797/-	**-**	1900000/-
10	सेवानिवृत्तिक अवकाश नगदीकरण/ग्रेचुटी	38000000/-	14494373/-	**21900000/-**	59900000/-
11	पारिश्रमिक का भुगतान	8000000/-	5009828/-	**-**	8000000/-
12	सप्तम वेतनमान एरियर	23400000/-	12510647/-	**-**	23400000/-
योग-		**29,51,63,000/-**	**8,01,70,238/-**	**2,21,82,000/-**	**29,51,63,000/-**

(रूपये उन्नतीस करोड़ इक्यावन लाख तिरसठ हजार मात्र)

शिव सहाय अवस्थी

विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है